17
शैक्षिक स्थापन में समाज कार्य

* *अंजली गांधी*

प्रस्तावना

शिक्षा, विशेष रूप से विद्यालय शिक्षा को अब मूल मानवाधिकार माना जाता है। शिक्षित लोग अधिक स्वायत्त बन जाते हैं, सूचना के आधार पर अपनी पसंद निर्धारित करते हैं और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हैं। वे अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं और अधिक सार्थक जीवन जीते हैं। दूसरी ओर, कम शिक्षित व्यक्तियों को अन्य लोगों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है।

आज के विद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वहाँ पर विद्यार्थी को पढ़ना, लिखना और शिक्षा प्राप्ति के वे कौशल सिखाए जाएँगे जो उसकी क्षमता और रुचि के अनुकूल हों। विद्यालय से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे युवा व्यक्ति बनाए जिनको जीविका के अवसर प्राप्त हो सकें और जो समाज में लाभप्रद कार्य करें। विषयवस्तु पढ़ाने और व्यक्तित्व विकास करने के इस दोहरे कार्य के लिए यह अपेक्षित है कि बालकों का नामांकन करवाया जाए और विद्यालयी पढ़ाई पूरी होने तक उन्हें विद्यालय में रोके रखा जाए।

विद्यालयी पढ़ाई के मान्यता प्राप्त महत्व के बावजूद अनेकों बच्चे गरीबी या अन्य कारणों की वजह से विद्यालय में नामांकन नहीं कराते या पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे मामलों में, उन्हें वैकल्पिक माध्यमों जैसे ग़ैर-औपचारिक कक्षाओं या बाद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उनके लिए भी, शिक्षा का उद्देश्य वही रहता है।

क्या ऊपर वर्णित किया गया शिक्षा का व्यापक लक्ष्य शिक्षकों द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है? शिक्षक को यदि उपयुक्त साधन प्राप्त नहीं हैं, पूरा भोजन नहीं मिलता या वह अस्वस्थ है तो वह ध्यानपूर्वक काम कैसे कर पाएगा? जो माता पिता दयनीय निर्धनता में जी रहे हैं वे भोजन और वस्त्र की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धि में ही अपनी समस्त ऊर्जा समाप्त कर देंगे। उनके बच्चे संभवतः

* *प्रो. अंजली गांधी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली*

किसी उद्दीपन, अनुशासन और पोषण के बिना ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे। इस तरह का विद्यार्थी विद्यालयी अनुभवों का अधिकतम उपयोग कैसे कर पाएगा? इसके अलावा यह भी हो सकता है कि विद्यालय स्वयं ही समस्या का एक हिस्सा हों। विद्यालयों की नौकरशाही कार्य प्रणाली, बड़े-बड़े कमरे और उतने ही बड़े अध्यापक/शिष्य अनुपात के कारण वैयक्तिक शिक्षा असंभव बन जाती है। यह हो सकता है कि विद्यार्थी को जो विषयवस्तु पढ़ाई जा रही हो वह उसके सामाजिक संदर्भ से संबंध न रखती हो। अध्यापकों को समय सीमा के अंदर ही पाठ्यचर्या पूरी करनी होती है और कठिन परिस्थितियों में पड़े किसी विद्यार्थी की सहायता करने के लिए उनमें न तो ऊर्जा होती है और न ही प्रेरणा। वे ऐसे विद्यार्थी पर समस्यात्मक होने का ठप्पा लगा देते हैं और अनजाने में हीं, उसको विद्यालयी पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

ऊपर उल्लिखित बाधाएँ केवल औपचारिक विद्यालयों तक ही सीमित नहीं हैं। ये अन्य शैक्षिक व्यवस्थाओं जैसे व्यावसायिक संस्थाएँ, ग़ैर-औपचारिक या वयस्क शिक्षा कक्षाओं में भी पाई जाती हैं। इन बाधाओं को कम करने के लिए शिक्षकों के अलावा व्यावसायिकों की भी ज़रूरत पड़ती है जो शिक्षकों की मदद कर सकें।

शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से विद्यालयों ने अध्यापकों के अलावा व्यावसायिकों से सहायता लेने के महत्व को जान लिया है। इन व्यावसायिकों में समाज कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, नर्सें, वाक् चिकित्सक और विशेष शैक्षिक शामिल हैं। इन सभी ग़ैर-शिक्षण व्यावसायिकों को मिलाकर छात्र विशेषता कहा जाता है। ये अध्यापकों की, शिक्षा के व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं।

शिक्षा में समाज कार्य

समाज कार्यकर्ता व्यक्तिओं की सामाजिक कार्यविधि को उनकी अन्तर्निहित क्षमता के माध्यम से ही बढ़ाते हैं। लोगों की गरिमा और योग्यता में विश्वास रखते हुए वे यह मानते हैं कि लोग कभी कभी, व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों के कारण असंतुलन की स्थिति में हो सकते हैं। इसलिए, वे व्यक्तिओं को उपयुक्त सामाजिक प्रणालियों और संसाधनों से जोड़ कर इस असंतुलन को रोकने और कम करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, वे समाज के सर्वाधिक संवेदनशील सदस्यों की विनाशात्मक सामाजिक प्रभावों से सुरक्षा करते हैं। उनसे जिस कार्य को करने के लिए कहा गया है उस हैसियत से वे संबंध बनाने में और संप्रेषण को सुगम बनाने में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं।

समाज कार्यकर्ता की सेवाओं का प्रयोग उन सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है जो लोगों के साथ प्रभावशाली रूप से कार्य करने की इच्छुक हैं। अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं, जेलों, उद्योगों इत्यादि द्वारा समाज कार्यकर्ताओं को रोज़गार पर रखा जा रहा है। समाज कार्य व्यवहार के लिए ये गौण व्यवस्थाएँ हैं। दूसरे शब्दों में, इन संस्थाओं में समाज कार्य प्रमुख व्यवसाय नहीं है। यह अन्य व्यवसायों की उनका कार्य करने में मदद करता है।

उद्देश्य

शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व अध्यापकों पर निर्भर करता है। यदि ऐसा है तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज कार्यकर्ताओं को नियोजित करने का क्या उद्देश्य है? समाज कार्यकर्ताओं के कौशलों का प्रयोग शैक्षिक क्षेत्र की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। विद्यालय-घर-समुदाय के संबंध को बनाए रखकर वे शिक्षा के केन्द्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। वे शिक्षण में दखल देने वाली व्यवहारात्मक, आर्थिक, पारिवारिक और शैक्षिक समस्याओं से निपटने में उनकी रोकथाम करते हैं। समस्याओं के दबाव से छुटकारा पाकर विद्यार्थी अपने शिक्षण अनुभवों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज कार्य, शिक्षा में मानवीय कारक को प्रस्तुत करता है।

शिक्षा में समाज कार्य के उद्देश्य को आंशिक रूप से स्पष्ट करने के बाद आइए अब हम कुछ अन्य प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार करें। वे मूल्य क्या हैं जो समाज कार्य अंतःक्षेप को दिशा निर्देश करते हैं? ज्ञान का आधार, कौशल और वे क्षमताएँ कौन सी हैं जिनकी समाज कार्यकर्ताओं को शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है?

मूल्याधार

शिक्षा में समाज कार्यकर्ता जिन मूल्यों का व्यवहार करते हैं वे समाज कार्य व्यवसाय द्वारा माने गए मूलभूत मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। परन्तु शिक्षा में प्रयोग के लिए इन मूल्यों में परिवर्तन भी किया जाता है। मियर्स और अन्य (1996) ने इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसे थोड़ा बहुत परिवर्तित करके नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

लेखकों की धारणा है कि समाज कार्य मूल्यों का केन्द्र बिन्दु है विद्यार्थी छात्र समाज कार्यकर्ता जब भी उसके साथ काम करे चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अन्य सहकर्मियों — अध्यापक, माता पिता, सहपाठी या समुदाय सदस्यों

समाज कार्य मूल्य	शिक्षा में समाज कार्य मूल्य
प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और योग्यता को मान्यता देना	प्रत्येक शिष्य को अदभुत विशिष्टताओं युक्त एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया जाता है।
आत्म संकल्प का अधिकार	प्रत्येक शिष्य को शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने और पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।
व्यक्तिगत क्षमता के प्रति सम्मान और इसको प्राप्त करने के लिए उसकी अभिलाषा पूरी करने में सहायता करना	व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना चाहिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अंतःक्षेप उपलब्ध कराना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होने का अधिकार और इन भिन्नताओं को सम्मान प्रदान करना	प्रत्येक छात्र को, चाहे वह किसी भी जाति या सामाजिक, आर्थिक विशिष्टताओं का है समान व्यवहार पाने का अधिकार है।

के साथ काम करे उसे "विद्यार्थी-छात्र के सर्वोत्तम हित" को ध्यान में रखना चाहिए। छात्र की ओर से नैतिक निर्णयन, लागत/लाभ विश्लेषण और कार्य के अपेक्षित परिणाम ठोस निर्णय पर आधारित होना चाहिए। इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि ऐसा बालक जो किसी ग़ैर-सरकारी विद्यालय की पाठ्यचर्या की अतिशय माँगों को पूरा करने यौग्य न हो उसकी पड़ौस के किसी ऐसे विद्यालय में भेजने के लिए सहायता करनी चाहिए जिसकी माँगें कम हों। इस मामले में वह बालक अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेगा यद्यपि हो सकता है कि उसके माता पिता उसे ऐसे विद्यालय में भेजने के इच्छुक न हों जो कम मशहूर हों।

ज्ञान, कौशल और क्षमताएँ

शिक्षा में समाज कार्य का ज्ञान आधार समाज कार्य के ही समान मानव व्यवहार है विशेष रूप से समाज कार्य के संदर्भ में। यह व्यवसाय समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और औषधि विज्ञान जैसे विषयों से बहुत कुछ ग्रहण करता है। शिक्षा में समाज कार्यकर्ता को ऐसे कौशलों की ज़रूरत होती है जिनके द्वारा वह छात्रों के साथ उनके आयु वर्ग के उपयुक्त कार्य कर सके। उसे उनके शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की भी ज़रूरत पड़ती है। जिन क्षमताओं की ज़रूरत होती है उनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है:

- समकालीन समाज में शिक्षा के कार्यों की समझ।
- शिक्षा को प्रभावित करने वाले समाजशास्त्रीय मुद्दों का ज्ञान।

- शिक्षा को प्रभावित करने वाले कानूनी और नीतिगत मुद्दों की जानकारी जिसमें लाभवंचित समूहों की श्रेणियों के लिए प्रावधान भी सम्मिलित हैं।
- विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों जैसे गरीबी, हिंसा, एड्स, गृहहीनता, पदार्थ दुरुपयोग उपभोक्तावाद आदि के बारे में जागरूकता।
- शिक्षा की पद्धतियों घर और समुदाय तथा उनके संबंधों का विश्लेषण करने की योग्यता
- शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय में संरचनाओं और प्राधिकार की श्रेणियों की जानकारी।
- शिक्षण में बाधा डालने वाली स्थितियों को कम करने के लिए अपेक्षित उपयुक्त संसाधनों को ढूँढने और प्रदान करने की क्षमता।
- शिक्षा में समाज कार्य का इतिहास और कार्य व्यवहार के वर्तमान मॉडलों की समझ।
- शिक्षा पद्धति, घर और समुदाय में समाज कार्यकर्ता द्वारा निभाई जा सकने वाली बहुल भूमिकाओं की समझ और अनुप्रयोग
- विभिन्न सहभागियों—विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासक, परिवार, समुदाय और सह-व्यावसायिकों के साथ कार्य करने की योग्यता।
- भिन्न-भिन्न प्रकार के जनसमूहों के साथ प्रभावी रूप से संप्रेषण कर पाने की योग्यता।

समाज कार्यकर्ता और शिक्षक

समाज कार्यकर्ता और शिक्षक के लक्ष्य समान होते हैं। दोनों का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों में समग्र विकास लाना होता है ताकि वे ऐसे वयस्क बन सकें जो उत्पादक हों। समाज कार्यकर्ता सर्वाधिक देखभाल करने वाले शिक्षक को भी नवीन उपयुक्त तरीके बता सकता है जिनसे बच्चों के साथ व्यवहार किया जा सके। इसी प्रकार, अध्यापक भी समाज कार्यकर्ता के प्रयोग के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में मूल्यवान शैक्षिक और कक्षा आँकड़े (डाटा) प्रदान कर सकते हैं। इसके बावजूद उनके लक्ष्यों और मूल्यों में संघर्ष हो सकता है। समाज कार्यकर्ता एक बालक पर और उसके पर्यावरण पर विशिष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित

रखता है जबकि शिक्षक के लिए समूह और कक्षा का अनुशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः एक शिक्षक को यह बात आसानी से समझ में नहीं आती कि समाज कार्यकर्ता एक ऐसे बालक के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है जो कक्षा में आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है। वे ऐसे माता पिता के प्रति भी तद्नुभूति नहीं दिखा पाते जो विद्यालय या अपने बालक की शिक्षा के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करते है ऐसा संघर्ष स्वाभाविक है लेकिन इसे खुली बातचीत द्वारा सुलझा लेना चाहिए। समाज कार्य - शिक्षा भागीदारी दोनों ही व्यावसायिकों के लिए व्यावसायिक परिवर्तन प्रस्तुत करती हैं।

इन अवरोधों की परवाह न करते हुए समाज कार्य ने शैक्षिक क्षेत्र में अपने पॉव जमा लिए हैं और यह स्थायी रहेगा। भारत के अतिरिक्त शैक्षिक व्यवस्था में समाज कार्यकर्ता, सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यू.के., स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान में भी रोज़गार शुदा हैं। उनकी भूमिका उनके देशों की शैक्षणिक प्रणाली की सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न है।

यूनाइटेड किंगडम में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

शिक्षा में समाज कार्य को सामान्य तौर पर विद्यालय में समाज कार्य के समानार्थक माना जाता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश समाज कार्यकर्ता अन्य शैक्षिक व्यवस्थाओं की तुलना में विद्यालय में काम कर रहे हैं।

भारत में विद्यालय समाज कार्य सेवा की बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। जिस व्यावसायिक समाज कार्य को हमने अपनाया है वह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य में विकसित हुआ है। इसी भाँति हमारी विद्यालय प्रणाली भी अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी और इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैं। इन कारकों पर विचार करते हुए यह तर्कसंगत लगता है कि भारत में विद्यालय समाज कार्य पर अध्ययन करने से पहले हमको यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) और संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यालय समाज कार्य के विकास को समझना चाहिए। इसके अलावा, इन दो देशों की विद्यालय समाज कार्य सेवा प्राचीनतम है। अतः इन देशों में विद्यालय समाज कार्य के विकास का पता लगाने से इस क्षेत्र की व्यापक

जानकारी प्राप्त होगी। नीचे यू.के. में विद्यालय समाज कार्य के इतिहास की जानकारी दी जा रही है।

उपस्थिति अधिकारियों की नियुक्ति

यू.के. में विद्यालय समाज कार्य को 'शिक्षा कल्याण' के नाम से जाना जाता है और इसका प्रसार शिक्षा कल्याण अधिकारियों (Education Welfare Officers – EWOs) द्वारा किया जाता है।

शिक्षा कल्याण अधिकारियों की सेवाएँ विद्यालय में उपस्थिति अधिकारियों की नियुक्ति के साथ शुरू हुईं। 1880 के शिक्षा अधिनियम ने स्थानीय विद्यालय बोर्डों को उपस्थिति अनिवार्य बनाने के लिए आदेश दिया और उन्हें यह अधिकार दिया कि अनुपस्थिति के लिए वे बालकों और माता पिता दोनों पर अभियोग करें।

इस अधिनियम के फलस्वरूप बड़ी संख्या में 'विद्यालय उपस्थिति अधिकारियों' की नियुक्ति हुई। ये अधिकारी सामान्यतः भूतपूर्व पुलिस या सेना कार्मिक थे और कुछ ने तो सरकारी वर्दी पहनना भी पसंद किया। इन अधिकारियों का उपनाम "बालक पकड़ने वाले" या "विद्यालय बोर्ड व्यक्ति" रखा गया क्योंकि ये पार्कों और खुली जगहों पर उन बालकों पर निगाह रखते और पकड़ते थे जो विद्यालय नहीं आते।

इन उपस्थिति अधिकारियों को शीघ्र ही यह जानकारी हो गई कि माता पिता की लापरवाही ही बालकों की अनुपस्थिति के लिए उत्तरदायित्व का कारण नहीं थी। बालक गरीबी, अध्यापकों का डर या सहपाठियों के समूह के दबाव संबंधी कारकों की वजह से भी विद्यालय नहीं आते। धीरे-धीरे उनकी अंतःक्षेपी कार्यनीतियाँ कारणों की ही भाँति बहुपक्षीय हो गईं।

1944 का शिक्षा अधिनियम

उपस्थिति अधिकारियों और उनके कार्य को 1944 के शिक्षा अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय शिक्षा प्राधिकरणों को यह उत्तरदायित्व दिया गया कि वे अपने क्षेत्र के विद्यालय जाने वाली आयु के सभी बालकों को पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। अतः विद्यार्थियों के स्वास्थ्य निरीक्षण करवाना, निःशुल्क भोजन जहाँ आवश्यक हो वहाँ निःशुल्क डाक्टरी

चिकित्सा और अक्षम बालकों को विशेष शिक्षा सहायता उपलब्ध कराने के काम उपस्थिति अधिकारियों के जिम्मे सौंपे गए। जब उपस्थिति अधिकारियों ने ये कल्याण सेवाएँ प्रदान करना प्रारंभ किया तब उन्हें 'शिक्षा कल्याण अधिकारी' के नए नाम से पुकारा जाने लगा।

प्लोडेन समिति

शिक्षा कल्याण अधिकारियों (ई.ओ. डब्ल्यू) के कार्य को ध्यानपूर्वक देखने का काम 1966 में प्लोडेन समिति द्वारा किया गया। शिक्षा कल्याण अधिकारियों का बड़ी संख्या में अध्ययन करने के बाद इस समिति ने यह टिप्पणी दी कि उनका ज्यादा समय विद्यालय उपस्थिति लिपिक के कार्य और अपने क्षेत्र के बालकों को विद्यालय का भोजन और वस्त्र वितरित करने में व्यतीत होता था। यह अनुभव किया गया कि शिक्षा कल्याण अधिकारी घर विद्यालय संपर्क का कार्य ज्यादा नहीं करते। इस काम को करने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्लोडेन समिति ने सिफारिश की कि शिक्षा कल्याण अधिकारियों को समाज कार्य में प्रशिक्षित किया जाए। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि या तो ये अधिकारी समाज कार्य प्रशिक्षण लें नहीं तो उनको कल्याण सहायकों के पद पर पदावनति कर दी जाए। इसके पश्चात् अनेकों अधिकारियों ने समाज कार्य प्रशिक्षण लिया।

सीबोहम समिति

सीबोहम समिति की सिफारिश के फलस्वरूप 1971 में सामाजिक सेवा विभाग स्थापित हुआ। इन विभागों की स्थापना प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य, नर्सिंग, कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए व्यापक सेवाएँ करना था जिन्हें खतरा होने की संभावना है। इन समाज सेवा विभागों से सेवा प्राप्त करने वाले अधिकतर व्यक्ति विद्यालय से आते हैं। समाज सेवा विभाग ऐसे बालक की देखभाल का जिम्मा लेता है जिसके माता पिता या अभिभावक न हों या उसके विकास में बाधा आ रही है या उसकी अवहेलना की जा रही है।

वर्तमान स्थिति

यू.के. में विद्यालय समाज कार्य सेवाएँ अब शिक्षा विभाग और समाज सेवा विभाग द्वारा प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षा कल्याण अधिकारी समाज सेवा

विभाग के समाज कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घनिष्ठ रूप से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, इन अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यह सुनिश्चित करें कि माता पिता अपने बालकों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। ऐसे मामलों में जहाँ उन्हें यह लगता है कि बालक अपने माता पिता के नियंत्रण से बाहर हैं या उसे देखभाल की ज़रूरत है तो उनको वे समाज सेवा विभाग की देखरेख में पहुँचा देते हैं।

आज शिक्षा कल्याण अधिकारी समाज कार्य में काफी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, यद्यपि बहुत से ऐसे भी हैं जो समाजशास्त्र, सामाजिक प्रशासन, मनोविज्ञान आदि जैसे सामाजिक विज्ञानों में स्नातक उपाधि युक्त हैं। घर, विद्यालय और समुदाय संपर्क का संवर्धन करते हुए शिक्षा कल्याण अधिकारी विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं। परन्तु विद्यालय उपस्थिति को लागू करना उनके कार्य का प्रमुख अंश रहता है।

इस प्रकार हमने देखा कि यू.के. में विद्यालय समाज कार्य का इतिहास काफी पुराना है। परन्तु फिर भी यह एक व्यापक सेवा के रूप में विकसित नहीं हो पाया। इसके लिए जिन कारणों का हवाला दिया जाता है वे हैं समाज कार्य की मुख्यधारा से शिक्षा कल्याण अधिकारियों का बहिष्कार व्यावसायिक संबंध का अभाव और पर्याप्त निधियों की कमी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्टफोर्ड, बोस्टन और न्यूयॉर्क के विद्यालयों में 1906-07 में विद्यालय समाज कार्य (जिसे शुरू में अतिथि अध्यापक कार्य कहते थे) प्रारंभ हुआ। निजी एजेंसियों और नागरिक संगठनों ने उपस्थिति में सुधार लाने और घर तथा विद्यालय के बीच तीव्र सहयोग लाने के लिए अतिथि अध्यापकों के कार्य को प्रायोजित किया।

मान्यता

विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि हुई जब 1913 में न्यूयॉर्क रोचेस्टर के शिक्षा बोर्ड ने एक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता की अतिथि अध्यापक

के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति दी। इस सरकारी मान्यता के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में बोर्डों ने अपने विद्यालय में समाज कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जिसके फलस्वरूप अतिथि अध्यापकों का विस्तार प्रसार हुआ।

सेवाओं का प्रसार/विस्तार

कॉमनवेल्थ निधि की सहायता मिलने से 1920 में अतिथि अध्यापक आंदोलन तीव्र गति से विस्तारित हुआ। इस निधि के प्रायोजक किशोर अपचार की समस्या के प्रति चिंतातुर थे। उनका विचार था कि अतिथि अध्यापक विद्यालयों में अव्यवस्था को कम करके किशोर अपचार की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

1921 में कॉमनवेल्थ निधि ने इन बोर्डों को जो अतिथि अध्यापकों को नियुक्त करके निदर्शन परियोजनाएँ आयोजित करने के लिए सहमत थे, उदार अनुदान प्रदान किया। बोर्डों में अतिथि अध्यापक तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे और इसके साथ यह शर्त रखी गई थी कि यदि निदर्शन अवधि के अंत में इसको उपयोगी पाया गया तो वे सेवा अपने अधिकार में ले लेंगे। अतिथि अध्यापकों की कार्य क्षमता को देखकर बड़ी संख्या में विद्यालय बोर्डों ने उनकी सेवा में नियुक्ति की।

जब अतिथि अध्यापकों की संख्या काफी बढ़ गई तो 1919 में अतिथि अध्यापक राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ। इसने प्रकाशनों द्वारा तथा कार्य के उच्च स्तर स्थापित करके महत्वपूर्ण योगदान दिए।

केस अध्ययन पर बल

विस्तार के साथ साथ, अतिथि अध्यापकों द्वारा निष्पादित कार्यों के केन्द्र बिन्दु में भी क्रमशः परिवर्तन आया। प्रारंभिक कार्यकर्ता तो घर-विद्यालय संपर्क कार्य को सबसे ऊपर प्राथमिकता पर रखते थे जबकि वर्तमान कार्यकर्ताओं ने धीरे-धीरे बालकों के साथ केस अध्ययन कार्य की ओर अपना रुख मोड़ा।

यह उपस्थिति कानूनों को लागू करने और मानसिक स्वच्छता आंदोलन के प्रभाव के कारण हुआ। उपस्थिति कानूनों को लागू करने से विभिन्न पृष्ठभूमियों और योग्यताओं से बालक विद्यालय आने लगे। इनमें से कुछ बालक कठिन स्थितियों

वाले घरों से आए थे और फलस्वरूप अपने साथ ऐसी समस्याएँ ले कर आए थे जिन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की ज़रूरत थी। दूसरी ओर मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन की लोकप्रियता ने अतिथि अध्यापकों को प्रोत्साहित किया कि वे बालकों में सामाजिक कुसंतुलन की रोकथाम और देखभाल के लिए तकनीकें विकसित करें। इसकी वजह से केस अध्ययन उपागम लोकप्रिय हो गया।

चूँकि अतिथि अध्यापक का काम सामान्य रूप में समाज कार्य और केस अध्ययन के समान हो गया था, अतः 1945 में "राष्ट्रीय अतिथि अध्यापक संघ" का नाम बदल कर "अमरीकी विद्यालय समाज कार्यकर्ता संघ" हो गया। 1955 में यह निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान "राष्ट्रीय समाज कार्यकर्ता संघ" (National Association of Social Workers (NASW) में मिल गया।

सेवा में परिवर्तन

1960 के दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने कई ऐसे कानून पारित किए जिनके प्रति विद्यालय समाज कार्य सेवा को प्रतिक्रिया करनी थी। 1965 के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम ने निर्धन परिवारों के बालकों हेतु विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया। 1972 के आपात् विद्यालय सहायता अधिनियम ने प्रवासी बालकों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य हेतु कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान किए। सभी विकलांग बच्चों हेतु शिक्षा अधिनियम 1975 ने उन राज्यों को सहायता प्रदान की जिन्होंने विकलांग बच्चों को सक्षम बालकों के साथ नियमित शैक्षिक व्यवस्था में समेकित करने के कार्यक्रमों को अपनाया।

उपर्युक्त विकासों के मद्देनज़र, विद्यालय समाज कार्यकर्ता केवल केस अध्ययन कार्य करने तक ही नहीं रुक सकते थे। इस कार्य के अलावा उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि वे विद्यालय प्रणाली में ऐसे परिवर्तन लाने पर विशेष ध्यान दें जिससे प्रवासी, विकलांग और निर्धन बच्चों को लाभ पहुँचे। जैसे-जैसे नई चुनौतियाँ उभरती हैं, विद्यालय समाज कार्यकर्ता उनके प्रत्युत्तर में उपर्युक्त सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे अब विद्यार्थियों के अधिकारों, हिंसा के मुद्दों, एच.आई.वी./एड्स पदार्थ दुरुपयोग और लिंग पर आधारित भेदभाव पर काम करते हैं। विद्यालय समाज कार्यकर्ता अब पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्यों (बालक, विद्यालय परिवार और पर्यावरण) की दिशा में कार्य की ओर बढ़ रहे हैं।

वर्तमान स्थिति

प्राचीन इतिहास और व्यावसायिकता के कारण विद्यालय समाज कार्यकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्यालयों में दृढ़ रूप से स्थापित हैं। वे 'विद्यार्थी सेवा' का अभिन्न अंग हैं। अल्पतम राष्ट्रीय स्तर और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय समाज कार्यकर्ता संघ (एन ए एस डब्ल्यू) ने विद्यालय समाज कार्य सेवाओं के लिए स्तरों की एक सूची बनाई (एन ए एस डब्ल्यू, 1992)। राष्ट्रीय समाज कार्यकर्ता संघ द्वारा प्रकाशित एक जर्नल "शिक्षा में समाज कार्य" विद्यालय समाज कार्य के क्षेत्र में जानकारी का प्रसार करने के लिए ही विशिष्ट रूप से समर्पित है।

भारत में विद्यालय समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास और कार्य

भारत में यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति एक सामान्य विद्यालय पद्धति नहीं है। यहाँ पर विद्यालयों का अनुक्रम विद्यमान है जो इस प्रकार हैः

- अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन देने वाले विशिष्ट विद्यालय
- उच्च मध्यम वर्ग और धनी वर्गों के लिए ग़ैर-सरकारी विद्यालय
- केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उद्यम और रक्षा स्टाफ के बालकों के लिए विद्यालय
- ग्रामीण क्षेत्रों में कम शुल्क वाले ग़ैर-सरकारी विद्यालय
- निम्न मध्यम वर्ग और निर्धन वर्गों के लिए सरकारी और नगर पालिका विद्यालय
- विद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले और ग़ैर प्रवेशकों के लिए ग़ैर-औपचारिक कक्षाएँ।
- अक्षमताओं वाले बालकों के लिए विशेष विद्यालय

मोटे तौर पर इन विद्यालयों को दो सामान्य श्रेणियों में बाँटा जा सकता है — ग़ैर-सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय। उच्च मध्यम वर्ग और इससे ऊँचे

वर्ग के लोग अपने बालकों को ग़ैर-सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। निम्न आर्थिक वर्गों के लोग अपने बालकों को सरकारी और नगरपालिका के विद्यालयों में भेजते हैं। अतः भारत में ऐसा व्यापक विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम विकसित नहीं हो पाया जो सभी बालकों का प्रबंध कर सके।

तार्किक रूप से तो समाज कार्यकर्ताओं का आगमन सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में होना चाहिए था। निर्धनता से संबंधित समस्याओं से भरपूर इन विद्यालयों को समाज कार्य अंतःक्षेप से अधिक लाभ पहुँचता। परन्तु इन अपेक्षाओं के विपरीत सामाजिक कार्यक्रम सबसे पहले ग़ैर-सरकारी विद्यालयों में प्रारंभ हुआ।

ग़ैर-सरकारी विद्यालय क्यों?

उपर्युक्त विकास के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं:

1) जब भारतीय विद्यालयों में विद्यालय समाज कार्यकर्ताओं का आगमन होना था उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यालय समाज कार्यकर्ता जिस प्रमुख विधि को व्यवहार में लाते थे वह थी केस अध्ययन। ऐसे मॉडल को निजी विद्यालयों के लिए ज्यादा उपयुक्त पाया गया क्योंकि यह उच्च, मध्यम और धनी वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करता है।

2) कम नौकरशाही होने के कारण विद्यालय समाज कार्य प्रयोग के प्रति प्राइवेट (निजी) विद्यालय ज्यादा ग्राही (ग्रहणशील) थे। जब विद्यालयों में समाज कार्यकर्ताओं की उपयोगिता का प्रदर्शन हुआ तभी नगर पालिका विद्यालयों में समाज कार्य कार्यक्रम लाया गया।

इसलिए विद्यालय समाज कार्य के विकास को दो भागों में विभक्त किया गया है (क) प्राइवेट (निजी) विद्यालय (ख) नगरपालिका विद्यालय।

क) **प्राइवेट (निजी) विद्यालय**

महाराष्ट्र में आगमन

समाज शिक्षा के प्रसार और संसाधन एजेंसियों द्वारा समाज कार्यकर्ताओं की तलाश के फलस्वरूप समाज कार्य के कई कालेज विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को नौकरी दिला पाए।

काशी विद्यापीठ, वाराणसी पहला संस्थान था जिसने 1958 में स्थानीय विद्यालय क्षेत्र कार्य एजेंसी के रूप में प्रयोग किया। आगामी वर्ष में नारी निकेतन और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज), मुम्बई ने विद्यालय में नौकरी नियुक्ति की संकल्पना प्रारंभ किए। मुम्बई में नौकरी नियुक्तियों से कुछ विद्यालयों में समाज कार्यकर्ताओं को रोज़गार मिला, लेकिन वाराणसी में ऐसा नहीं हुआ।

कारवे सामाजिक विज्ञान संस्थान ने 1964 में महाराष्ट्र अभिभावक शिक्षक संघ की पूणे शाखा को अपने संबद्ध प्राइवेट विद्यालयों में विधायी नियुक्तियाँ स्वीकार करने का आग्रह किया। इस नौकरी नियुक्ति से कुछ विद्यालयों में समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ भी हुईं। इन प्रयोगों से महाराष्ट्र में अनेकों विद्यालयों में समाज कार्यकर्ता सामने आए।

दिल्ली में आगमन

दिल्ली में विद्यालय में समाज कार्यक्रम से परिचित कराने का श्रेय भारतीय प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता संघ (आई ए टी एस डब्ल्यू) की दिल्ली शाखा को जाता है। 1969 में भारतीय प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता संघ ने उन्हीं कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉमनवेल्थ फंड द्वारा किए गए थे।

इस प्रदर्शन की मेज़बानी करने वाले विद्यालय ने समाज कार्यकर्ता के वेतन का खर्च वहन किया जबकि भारतीय प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता संघ ने प्रमुख लागत अपने सिर पर ली। यह सहमति हुई कि सफल प्रदर्शन के बाद विद्यालय कार्यक्रम की कुल लागत को वहन करेगा। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन 'कार्यान्वयन समिति' को करना था। इस समिति के सदस्य समाज कार्य शिक्षक और व्यावहारविद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने, फंड एकत्रित करने अभिभावक-शिक्षक बैठकों को संबोधित करने और सेमिनार आयोजित करने के कार्यों को जारी रखा। उन्होंने दिल्ली में विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया। शीघ्र ही अन्य प्रमुख नगरों के निजी विद्यालय भी समाज कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने लगे।

निष्पादित कार्य

इन विद्यालयों में आने वाले बच्चों की मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति उनके परिवार करते थे। अतः विद्यालयों से अपेक्षा की जाती थी कि वे विद्यार्थियों की भावी भूमिकाओं के लिए उनका अधिकतम विकास और इष्टतम रूप से तैयार करें। इन अपेक्षाओं के चलते, ये विद्यालय उन विद्यार्थियों के प्रति विशेष रूप में दिलचस्पी लेने लगे जिनमें क्षमताएँ व सामर्थ्य तो था लेकिन वह पूर्णतः उपेक्षित था। कुछ विद्यालयों में तो यह भी महसूस किया गया कि उनके बच्चे समाज की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपने बच्चों को इन वास्तविकताओं से परिचित कराने के प्रयास किए। इन सोच-विचारों से समाज कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण हुआ। इनमें से प्रमुख कार्यों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1) कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य समस्या वाले बच्चों की सहायता करना होना चाहिए। उन्हें संवेगात्मक संक्षो, सीखने, हमउम्र अभिभावक बच्चे और अध्यापक-बच्चे के बीच संबंध से जुड़ी समस्याओं पर प्रमुख रूप से काम करना चाहिए। शहर के बदलते हुए परिदृश्य और बच्चों पर इसके प्रभाव के फलस्वरूप नई नई चुनौतियाँ उभर रही हैं। अतः समाज कार्यकर्ताओं को इन समस्याओं से दिन-प्रतिदिन निपटना पड़ रहा है। ये समस्याएँ हैं– बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, हिंसा, पदार्थ का दुरुपयोग, लिंग व यौन मुद्दे। कुछ समाज कार्यकर्ता जीविका/व्यवसाय संबंधी परामर्श देने का काम भी करते हैं।

2) प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकर्ता, उन विद्यालयों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पाद कार्य (Socially Useful and Productive Works – SUPW) में भी संलग्न हैं। वे अस्पतालों में, विकलांगों के विशेष विद्यालयों में, गाँव शिविरों के जरिए ग्रामवासियों के साथ और इसी तरह की गतिविधियों में अपने विद्यालय के बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे कार्य का उद्देश्य तर्क व सोचने की योग्यता, नेतृत्व के गुणों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति विकसित करना है।

3) कुछ प्राइवेट विद्यालयों ने अपने विद्यालयों में अक्षम बच्चों को एकीकृत शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। विद्यालय समाज कार्यकर्ता अक्षम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, बिना भेदभाव के उन्हें विकास के लिए अवसर प्रदान कराने में मदद करते हैं। ज़रूरत के आधार पर वे विकलांग बच्चों के तथा सक्षम बच्चों के माता पिता के साथ समाज कार्य अंतःक्षेप का दायित्व भी लेते हैं। अध्यापकों को सहायता प्रदान करते हैं और अक्षम बच्चों के आर्थिक पुनर्वास के लिए बाहरी एजेंसियों के साथ सम्पर्क करते हैं।

ख) **नगर पालिका विद्यालय**

प्रारंभ

हमारे देश के नगर पालिका विद्यालय स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाते हैं और शहरी निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। इन विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता और वे पहली पीढ़ी है जो पढ़ने के लिए विद्यालयों में आ रही है और विद्यालय संबंधी गतिविधियों (कार्यों) व अन्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उनके पास धन का अभाव होता है। अतः कई बच्चे समस्याएँ व्यक्त करते हैं जैसे विद्यालय बीच में ही छोड़ देने की उच्च दर, अनुपस्थितता, निम्न स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि, खराब स्वास्थ्य इत्यादि। ऐसे विद्यालयों से आशा की जाती है कि वे विद्यालय की उपस्थिति व धारण क्षमता को सुधारने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक कार्यनीतियाँ विकसित करें।

दो नगरपालिका निकायों — वृहत् मुम्बई नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम का दायित्व लेकर उपर्युक्त चुनौती का जबाव दिया। इसके विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

मुम्बई के नगरपालिका विद्यालयों में समाज कार्यकर्ताओं का प्रवर्तन (आगमन)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है समाज कार्य के कॉलेज (दि कॉलेज ऑफ सोशल वर्क), निर्मला निकेतन को प्राइवेट विद्यालयों में समाज कार्य सेवाओं को प्रारंभ करने का अनुभव था। अब इसे नगर पालिका विद्यालयों में नामांकित स्लम बच्चों की दुर्दशा की चिंता थी। इन्होंने देखा कि इन बच्चों की दुर्दशा को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका था इने समाज कार्य कार्यक्रम के जरिए एकीकृत

सेवाएँ प्रदान करना। इन सेवाओं के विद्यालय, घर और समुदाय के बीच घनिष्ठ सहलग्नता प्रदान करनी चाहिए, जो कि प्राइवेट विद्यालयों में नहीं था। सेवाओं को प्रभावशाली होने के लिए इसे विद्यालय के माहौल, पढ़ाने के तरीके और विषयवस्तु पर भी ध्यान देना चाहिए।

इन विचारों के फलस्वरूप नगर पालिका विद्यालयों में समाज कार्य विद्यार्थियों की नियुक्ति की गई। इस सेवा की उपयोगिता के सफल प्रदर्शन के परिणामस्वरूप नगर पालिका विद्यालयों में 1971 और 1973 में दो समाज कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष (1979) में इस कार्यक्रम को और बढ़ावा व सुदृढ़ता मिली जब इसे और पन्द्रह स्थानों में बढ़ाया/विस्तृत किया गया। समझौते के अनुसार नगर निगम ने समाज कार्य कार्यक्रम के प्रबंधन व पर्यवेक्षण का दायित्व अपने ऊपर लिया। यह कार्यक्रम व्यावसायिकों और विधायी समाज कार्यकर्ताओं की सहायता से समाज कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

निष्पादित कार्य

विद्यालय समाज कार्य द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

1) समाज कार्यकर्ताओं ने विद्यालय बीच में छोड़ देने को रोकने के कार्य को प्राथमिक कार्य के रूप में लिया। प्रत्येक कक्षा के संबद्ध अध्यापकों को उन बच्चों के नाम बताने को कहा गया जो पिछले 10-15 दिनों से कोई सूचना दिए बिना विद्यालय नहीं आ रहे थे। समाज सेवा इकाई के प्रतिनिधि ऐसे बच्चों के घर गए और उसे व्यक्तिसापेक्ष मदद की अर्थात् जिस बच्चे को जैसी मदद की ज़रूरत थी उसकी मदद की। इस सेवा में बच्चे को वापिस विद्यालय जाने के लिए विद्यालयी सामग्री (वर्दी, पुस्तकें इत्यादि) से लेकर विशिष्ट चिकित्सा देखभाल या वित्तीय सहायता करना शामिल था।

2) विद्यालय छोड़ने की उच्चतम दर पहली कक्षा के बच्चों में देखी गई। यह अनुभव किया गया कि नगर पालिका विद्यालय में आने वाले अधिकांश बच्चों को 'बालवाड़ी' और नर्सरियों का अनुभव नहीं होता। पाठ्यचर्या और अध्यापन की औपचारिक संरचना से भयभीत बच्चे विद्यालय आना छोड़ देते

हैं। इसकी अनुक्रिया में, समाज कार्यकर्ताओं ने पहली कक्षा में दाखिला लेने से बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने हेतु कुछ हफ्तों का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम में शिल्प, गीत और अन्य सामूहिक गतिविधियों में स्थान दिया गया। जब बच्चों में औपचारिक शिक्षा के लिए अनिवार्य कौशल व मनोवृत्तियाँ विकसित हो गई तो पहली कक्षा में बीच में ही विद्यालय छोड़ने की दर में अत्यधिक कमी आई।

3) अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्लमों में रहने वाले अधिकांश नगर पालिका विद्यालयों के बच्चों को घर में पढ़ाई करने की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती। स्थान का अभाव, अपर्याप्त रोशनी और माता पिता द्वारा मार्गदर्शन न मिल पाना कुछ प्रमुख कारक हैं। समाज कार्यकर्ताओं ने सायंकालीन अध्ययन कक्षाओं की व्यवस्था की। नगर पालिका विद्यालय के अध्यापक के पर्यवेक्षण में, विद्यार्थी गृह कार्य को पूरा करते और सूचनाप्रद पुस्तकें पढ़ते। समाज कार्यकर्ताओं ने माता पिता के साथ बैठकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम या बच्चों में प्रतिस्पर्धा आयोजित करके अध्ययन कक्षाओं को समर्थन प्रदान कराया।

4) नगर पालिका विद्यालयों में विशेष रूप से वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित विज्ञान प्रयोगशालाओं में पर्याप्त साज-सामान नहीं होता। समाज कार्यकर्ता स्थानीय कालेजों के साथ मिलकर इसकी व्यवस्था करते हैं ताकि ये छात्र उनकी अपनी प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकें। इन कॉलेजों के विद्यार्थियों को विद्यालयी बच्चों को विज्ञान के प्रयोगों में सहायता करने के लिए स्वयंसेवी के रूम में नामांकित भी किया जाता है।

5) ये समाज कार्यकर्ता चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए (शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित करने में मदद करते थे। इन कक्षाओं का मुख्य ध्यान उन बच्चों पर होता था जिन्होंने या तो विद्यालय में दाखिला ही न लिया हो या जिन्होंने किसी कारणवश विद्यालय छोड़ने का निर्णय लिया हो। इन कक्षाओं में समाज कार्यकर्ता पाठ्यक्रम बनाने, शिक्षण सहायक

सामग्रियाँ तैयार करने और शिक्षण में मानसिक स्वास्थ्य घटकों को शामिल करने में अध्यापकों की सहायता की। उन्होंने माता पिता के साथ भी घनिष्ठ रूप से काम किया ताकि शिक्षा के कार्य के लिए वे उनका समर्थन जुटा सकें।

6) विद्यालयों के प्रति आकर्षण का संवर्धन करने और विद्यालयों की क्षमताओं को बनाए रखने में और बच्चों को समाज विरोधी गतिविधियों से दूर रखने के लिए कुछ मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विद्यार्थी समाज कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक विश्वास रखते हुए समाज कार्यकर्ताओं ने ग्रीष्म मनोरंजन, दिवस शिविर या वार्षिक मेले भी आयोजित किए।

उपर्युक्त कार्यों के दायित्व ने वृहद मुम्बई नगर पालिका के विद्यालयों ने समाज कार्य कार्यक्रम की सक्षमता को सिद्ध कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, अब वह निर्मला निकेतन भागीदारी के बिना विद्यालय सामाजिक कार्यक्रम स्वयं चलाता है।

एन डी एम सी विद्यालयों में समाज कार्यकर्ताओं का आगमन

वृहद मुम्बई नगर पालिका की भाँति नई दिल्ली नगर पालिका समिति (एन डी एम सी) अपने विद्यालयों में प्रचलित विद्यालय छोड़ दने की उच्च दर से चिन्तित थी। इसके अलावा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। यह दुर्भाग्य है कि न तो दिल्ली के समाज कार्य शिक्षक न ही एन डी एम सी के अधिकारी मुम्बई में नगर पालिका विद्यालयों के लिए पहले से विकसित व्यापक विद्यालय सामाजिक कार्यक्रम से अवगत नहीं थे। इसलिए एन डी एम सी मुम्बई में अपने दूसरे पक्ष के अनुभवों का सहारा नहीं ले सकी।

एन डी एम सी के शिक्षा अधिकारी को कार्यान्वयन समिति' के कार्य से परिचित कराया गया और उन्होंने विद्यालय समाज कार्यकर्ताओं की उपयोगिता को स्वीकार किया। उन्हीं के प्रयास के कारण, 1975 में एन डी एम सी के विद्यालयों में 15 समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। इन कार्यकर्ताओं को विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया। इनका प्रमुख कार्य विद्यालय के बीच में छोड़ देने को रोकना और एन डी एम सी के अन्तर्गत

आने वाले क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता को प्राप्त करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को एक विशिष्ट क्षेत्र सौंपा गया और कार्यकर्ताओं को एन डी एम सी के वरिष्ठ शिक्षक के पर्यवेक्षण में रखा गया।

निष्पादित कार्य

उद्देश्यों के अनुसार विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्ताओं के कार्य निम्नानुसार थे:

1) विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण किया। नामांकन योग्य बच्चों का पता लगा लेने के बाद, विद्यालयों में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाणपत्र, शपथ पत्र उपलब्ध करा कर और विद्यालयों में माता पिता के साथ जाकर प्रवेश कार्य में उनकी सहायता की। उन्होंने एन डी एम सी से पाठ्यपुस्तकों, वर्दी, छात्रवृत्ति इत्यादि के रूप में प्रोत्साहन भी दिलवाए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पाँच वर्षों की अवधि में एन डी एम सी के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में लगभग सभी बच्चे नामांकित हो गए।

2) विद्यालय को बीच में छोड़ देने को रोकने के लिए मुम्बई में कार्यकर्ताओं की भाँति ये भी उन बच्चों के घरों में गए जिनके बच्चे पिछले 8-10 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे थे। प्राप्त निर्देशों के अनुसार कोई भी अध्यापक किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकता था। यह केवल तभी संभव था जब कल्याण अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि विद्यालय में बच्चे को वापिस लाने के लिए कोई भी प्रभाव नहीं डाला जा सकता। बच्चे को विद्यालय वापिस लाने के लिए बच्चे व उसके परिवार को प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाती थी। इस तरह चार वर्षों के भीतर विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्ता बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने और विद्यालय छोड़ने की समस्या को नियंत्रित करने में सफल रहे। विद्यार्थी कल्याण कार्यकर्ताओं के प्रयास प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और विद्यालय छोड़ने को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। हालाँकि सीमित दृष्टिकोण और अपेक्षाओं के कारण यह सेवा एक व्यापक कार्यक्रम में विकसित नहीं हो सकी।

विद्यालय समाज कार्य अभ्यास के मॉडल

ऊपर विद्यालय समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास में हमें विद्यालयों में समाज कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की झलक भी मिली। समाज कार्य सेवा का लक्ष्य विद्यालय के प्रकार, लक्ष्य की जन समूह और उभरती सामाजिक चुनौतियों के साथ भिन्न होता जाता है। परिणामस्वरूप विद्यालय समाज कार्य सेवा में विभिन्न मॉडल विकसित हुए (सैद्धांतिक विवरण जो यह समझने में मदद करता है कि प्रक्रिया कैसे करती है)। एल्डरसन (1972) ने विद्यालय समाज कार्य के चार मॉडल प्रस्तुत किए जिनमें कास्टिन (1975) ने एक ओर मॉडल जोड़ दिया।

परम्परागत क्लिनिकल मॉडल

विद्यालय समाज कार्य में यह व्यापक रूप से लागू किया जाता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी विशेष और उनके सामर्थ्य में बाधा डालने वाली सामाजिक व भावात्मक समस्याओं पर केन्द्रित है। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विद्यालय के अनुभव का अधिकतम प्रयोग करने योग्य बनाना है। इसके अंतर्गत विद्यालय को दोषरहित माना गया है और प्रत्येक विद्यार्थी से उम्मीद की जाती है कि वह विद्यालय की स्थितियों में स्वयं को समायोजित करे।

विद्यालय समाज कार्य का यह मॉडल ऊपरी, मध्यम और धनी वर्ग के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले विद्यालयों के लिए उपयुक्त है। भारत में प्राइवेट विद्यालयों ने इसी मॉडल को अपनाया है।

विद्यालय परिवर्तन मॉडल

इसका मुख्य केन्द्र विद्यालय की खराब काम करने वाली परिस्थितियों, उसकी नीतियों और व्यवहारों (प्रक्रियाओं) पर है। जो विद्यार्थी के खराब निष्पादन का कारण है या उसके आकर्षण को कम करते हैं उन्हें बदलने के लिए यह प्रोत्साहित यह करता है।

वृहद मुम्बई के नगर निगम के विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम की कुछ विशेषताएँ इसी मॉडल की हैं। पहली कक्षा के लिए विद्यालय तत्परता कार्यक्रम और समाज कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्यक्रम इसी दावे का समर्थन करने वाले उदाहरण हैं।

सामुदायिक विद्यालय मॉडल

यह मॉडल घनिष्ठ विद्यालय समुदाय संबंध का समर्थक है। इसका लक्ष्य सुविधावंचित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय कार्यक्रम विकसित करना है। कार्यकर्ता समुदाय की एक वंचना की उन स्थितियों को कम करने का प्रयास करता है जो शिक्षा में बाधक होती है। यह किशोर अपचार, विद्यालय छोड़ने की उच्च दर इत्यादि समस्याओं से निपटने के लिए उपयुक्त है।

वृहद मुम्बई नगर निगम के समाज कार्य कार्यक्रम में इसी मॉडल की कुछ विशेषताएँ हैं। अध्ययन कक्षाओं का आयोजन, ग़ैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और व्यावसायिकों की नियुक्त इसी दिशा के उदाहरण हैं।

सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल

इस मॉडल के अन्तर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है अर्थात् परिवार, विद्यालय और समुदाय, जो सभी परस्पर मिलकर काम करते हैं और सभी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। समाज कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच संचार और संयोजनों को बढ़ावा देना है।

भारत में प्राइवेट नगरपालिका विद्यालयों का विद्यालय सामाजिक कार्यक्रम इस मॉडल की विशेषताओं को निरूपित करता है।

विद्यालय-समुदाय शिष्य मॉडल

इसका मुख्य ध्यान शिष्यों के समूह पर केन्द्रित होता है और विद्यालय समुदाय संबंध की अंतक्रियात्मक पद्धति में बदलाव करने शिक्षण अवसरों का प्रयोग करने में उनकी सहायता करता है। विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम का लक्ष्य विद्यालय या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है बल्कि ऐसे विद्यार्थी समूह का पता लगाना है जो कम उपलब्धि, कामचोरी (आलसी), विद्यालय को छोड़ने, अनुपस्थिति रहने की समस्याएँ दर्शाता है।

नई दिल्ली नगरपालिका के विद्यालयों द्वारा विद्यालय समाज कार्य कार्यक्रम में इसी मॉडल का अनुसरण किया जाता था। समाज कार्यकर्ता का लक्ष्य वह निश्चित शिष्य समूह होता था जिन्होंने विद्यालय में नामांकन न कराया हो या जिनके विद्यालय को छोड़ने की संभावना हो।

अन्य शैक्षिक स्थापनों में समाज कार्य

समाज कार्यकर्ता की योग्यताओं/क्षमताओं का प्रयोग केवल औपचारिक विद्यालय व्यवस्था में ही नहीं किया जा सकता बल्कि विकलांगों के विशेष विद्यालयों, आवारा बच्चों के ग़ैर-औपचारिक कक्षाओं या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों जैसे शैक्षणिक व्यवस्थाओं में इनकी क्षमताओं को प्रयोग में लाया जा सकता है। हालाँकि प्रत्येक विद्यार्थी की ज़रूरतें और उसकी सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर समाज कार्यकर्ता के उद्देश्य में भिन्नता होती है।

अक्षम व्यक्तियों की सहायता करने वाले समाज कार्यकर्ता में अक्षमताओं का विशेष ज्ञान और उन विद्यार्थियों के अधिकारों के संबंध में विधान (कानून) की जानकारी होना आवश्यक है। उसे विद्यार्थी के सामाजिक और विकास संबंधी जानकारी तैयार करने से लेकर अध्यापकों व अभिभावकों को सहायता व संसाधन उपलब्ध कराने का काम करना पड़ सकता है ताकि विद्यार्थी शिक्षा से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। आवारा बच्चों की ग़ैर-औपचारिक कक्षाओं से जुड़े समाज कार्यकर्ता को इन बच्चों से संबद्ध विशेष मुद्दों से निपटने का काम भी करना पड़ सकता है। हो सकता है बच्चे के पास पर्याप्त भोजन, वस्त्र और सहायक परिवेश का अभाव हो। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षण ज़रूरतों, हिंसा की चुनौतियों, अपराध या यौन दुरुपयोग से भी निपटना पड़ सकता है।

प्रौढ (वयस्क) विद्यार्थियों की विशेष ज़रूरतें होती हैं। वे जिन सामाजिक वास्तविकताओं व मुद्दों का सामना कर रहे हैं, उनके अनुरूप शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने के लिए अध्यापक समाज कार्यकर्ता की मदद माँग सकता है। कार्यक्रम में पोषण शिक्षा के प्रावधान से लेकर माता पिता के प्रभावी पालन-पोषण के तरीकों के लिए कौशल विकास शामिल हो सकता है।

सारांश

शिक्षा का लक्ष्य मात्र पढ़ाना हीं बल्कि विद्यार्थी को समाज में भली-भाँति व उचित ढंग से काम करने के लिए तैयार करना है। शिक्षा के ऐसे व्यापक उद्देश्य शिक्षक अकेले ही अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए शैक्षणिक संस्थाएँ विशेष रूप से विद्यालय अन्य व्यावसायिकों पर निरंतर आश्रित रहने लगे हैं। एक ऐसा ही व्यवसाय है समाज कार्य।

समाज कार्यकर्ता अपने प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूल्यों, ज्ञान व समाज कार्य व्यवसाय के कौशलों को शिक्षा में स्थान देता है।

यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य सेवा सबसे प्राचीन है। उपस्थित व यह स्कूल सम्पर्क इसके प्रारंभिक घटक थे। समाज के साथ शैक्षिक व्यवस्था में समाज कार्य सेवा विभिन्न मॉडलों के रूप में विकसित हए। भारत में विद्यालय समाज कार्य के कुछ साहसी प्रयोग भी किए गए।

समाज कार्यकर्ताओं की उपयोगिता के सफल प्रदर्शन के बाद से विश्व भर के अनेकों विद्यालय उनकी सेवाएँ ले रहे हैं। हालाँकि, समाज कार्यकर्ता की दक्षता का प्रयोग अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में किया जा सकता है।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

एल्डरसन, जे.जे. (1972), *"मॉडल्स ऑफ स्कूल सोशल प्रैक्टिस" इन रोजमेरी एंड फ्रान्क* एफ.एम.(सम्पा.) दी विद्यालय इन दी कम्युनिटी, एन ए एस डब्ल्यू, पृष्ठ 57-74

कास्टिन (1975), *'स्कूल सोशल वर्क प्रैक्टिस; ए न्यू मॉडल,* सोशल वर्क, खंड 20 अंक 21, पृष्ठ 135-139.

गांधी, ए. (1990), *'स्कूल सोशल वर्क; दी इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ प्रैक्टिस इन इंडिया,* कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

मीअर्स, पी.ए., वांशिगटन, ओ. आर एंड वेल्स बी.एल. (1996), *'सोशल वर्क सर्विस इन विद्यालयस',* एलन एंड बेकन, बोस्टन।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स (1962), *एन ए एस डब्ल्यू स्टैण्डर्ड फॉर विद्यालय सोशल वर्क सर्विस,* वाशिंगटन, डी.सी.।